

Speed post /तीव्र डाक

Violation letter/उल्लंघन पत्र



भारत सरकार  
Government of India  
खान मंत्रालय  
Ministry of Mines  
भारतीय खान ब्यूरो  
Indian Bureau of Mines

माखुपूरा औद्योगिक क्षेत्र,  
Makhupura, Industrial Area  
अजमेर-305 002 (राजस्थान)  
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

संख्या : RAJ/JHUN-01/Cu-01/Vol-XIII

दिनांक: 08/07/2022  
12/7/22

प्रेषित : खान एजेन्ट

जी. एम. एवं युनिट हैड, ए  
खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स,  
खेतड़ी कॉपर खान,  
मेसर्स हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड,  
खेतड़ी नगर, जिला - झुंझुनू (राज.)-333504  
(e-mail: sree\_k@hindustancopper.com)

विषय: Violation of provision of Mineral Conservation and development rule 2017 in respect of your Khetri Copper Mine in Jhunjhunu district of Rajasthan State.

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 24/06/2022 by undersign in presence of Shri S.K. Purohit, Mines Manager, Sri Gopal Rathi, Geologist of your company:

Rule	Status and extent of violation
11(1)	Mining operations have not been carried out in accordance to Review of Mining Plan approved on 22/01/200 to the extent given below for the year 2021-22: (1) A total of 37 exploratory bore holes with 3640.50 meters of drilling were drilled against the proposal of 56 bore holes with 4800 drilling meterage, resulting shortfall in exploration. (2) Mine development of 3591.43 meters achieved against the proposal of mine development of 7180 meters, resulting shortfall in mine development meters.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

- (क) आपकी खदान की सारीसंक्रियाएं बंद की जा सकती है।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) राज्य सरकारा को खनन पट्टे की समप्ति की सिफारिश।

03.अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

Dr. Purohit  
08/07/22

(दिलीप जैन)  
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो

**प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-**

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, झुंझुनू (Raj.).
- 4 रक्षित पत्रावली।

HC *Prabhu*  
08/07/22

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो

*रक्षित पत्रावली*  
08/07/22